# अनुसूचित जनजातियों का समाजार्थिक विकास

## अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कार्यक्रम एवं महत्वपूर्ण पहलू

1. जनजातीय उप-योजना (टीएसपी)

1.1 योजना प्रक्रिया के आरंभ से, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए है कि जनजातीय व्यक्तियों को विकास प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तथापि, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में कार्य प्रणाली बदल जाती है क्योंकि विभिन्न विकासात्मक प्रयासों से नये अध्याय तैयार होते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना एक सुस्पष्ट जनजातीय विकास कार्य प्रणाली तैयार करने के बजाय जनजातीय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक सामुदायिक विकास आगम के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों के प्रावधान पर जोर देती है। योजना (1954) के अन्त में, 43 विषेश बहुउद्देशीय जनजातीय विकास योजनाएं (एमटीडीपी) तैयार की गई थी। इन एमटीडीपी जनजातीय लोगों का पूर्ण हित नहीं कर सके क्योंकि योजनाएं बहुत थी और सामान्य प्रकृति की थी। यही कार्य प्रणाली द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रही। तृतीय योजना में, सामुदायिक विकास खण्डों को जनजातीय विकास खण्डों (टीडीबी) में बदल कर जनजातीय विकास के लिए एक भिन्न कार्य प्रणाली तैयार की गई थी, जहां जनजातीय जनसंख्या का संकेद्रण 66 प्रतिशत या अधिक था। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में, देश में जनजातीय विकास खण्डों की संख्या 504 तक बढ़ गई। जनजातीय विकास खण्डों के माध्यम से विकास की कार्य प्रणाली की कुछ सीमाएं भी थी। और जनजातीय विकास खण्डों से बाहर रहते हुए देश की जनजाति जनसंख्या के कारणों को दूर करने में असफल रही, जो कुल जनजाति जनसंख्या के 60 प्रतिशत से भी अधिक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जनजातीय बाहुल्य खण्डों की पहचान का कार्य आरंभ किया गया। बाद में यह देश में 194 आईटीडीए/आईटीडीबी में बनाया गया।

1.2 वर्तमान जनजातीय उपयोजना कार्य-नीति जनजातीय लोगों के तीव्र समाजार्थिक विकास के लिए प्रोफेसर एस.सी. दुबे की अध्यक्षता में 1972 में शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई थी और पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बाद अपनायी गयी थी। जनजातीय उपयोजना कार्य-नीति कुछ संशोधनों सहित आज भी जारी है और राज्यों के लिए जनजातीय उपयोजना के संबंध में मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:-

i) राज्य की जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत उपलब्ध निधियां प्रत्येक राज्य या संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति जनंसख्या के कम से कम बराबर अनुपात में होंगी;

ii) राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों को टीएसपी के अन्तर्गत लाभ दिया गया है जो राज्य/ संघ शासित क्षेत्र की समग्र योजना से लेने के अतिरिक्त है;

iii) उपयोजना होनी चाहिए -

क) जनजातीय लोगों की आवश्यकता और समस्या को पहचानना चाहिए और उनके विकास में आलोचनात्मक अन्तर को पहचानना चाहिए।

ख) टीएसपी के लिए सभी उपलब्ध संशाधनों को पहचानना चाहिए।

ग) विकास के लिए एक बृहत नीति ढांचा तैयार करना चाहिए।

घ) एक विस्तृत विभागवार योजना तैयार करनी चाहिए।

ड.) उसके कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक कार्य प्रणाली परिभाषित करनी चाहिए, और

च) निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

iv) टीएसपी कार्य प्रणाली 22 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में प्रचलन में है। तथापि, संघ शासित क्षेत्रों के लिए निधियां वर्ष 2003-04 से गृह मंत्रालय के बजट से उपलब्ध करायी जा रही है और इसलिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय का संघ शासित क्षेत्रों में टीएसपी फण्ड के प्रशासन में कोई दखल नहीं है।

v) टीएसपी अवधारणा जनजातीय बाहुल्य राज्यों जैसे अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड और लक्षद्वीप और दादर एवं नागर हवेली संघ क्षेत्रों में लागू नहीं है जबकि वे जनसंख्या के 60 प्रतिशत से भी अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्वयं एक जनजातीय योजना है। 1991, 2001 और 2011 की जनगणना के साथ राज्यवाद योग और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या दर्शाने वाला विवरण परिशिष्ट-I पर दिया गया है।

2 टीएसपी के अन्तर्गत जनजातीय विकास कार्यक्रमों का वित्त पोषण

2.1 टीएसपी के अन्तर्गत जनजातीय विकास कार्यक्रमों का वित्त पोषण के स्रोत निम्न हैं-

i) राज्य योजना;

ii) संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातीय उपयोजना और अनुदान के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) का विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, और मंत्रालय की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत निधियां;

iii) केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों के क्षेत्रक कार्यक्रम; और

iv) संस्थानीय वित्त;

3. राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के टीएसपी घटक

16.3.1 योजना आयोग ने कुल राज्य/संघ शासित क्षेत्र योजना परिव्यय से एक अलग बजट शीर्ष कोड 796 के अन्तर्गत रखने हेतु टीएसपी के लिए निधियां रखने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को मार्ग निर्देश जारी किए थे। योजना आयोग द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार, जनजातीय उपयोजना निधियां अपरिवर्तनीय एवं अव्यपगतनीय होती है। मार्ग निर्देशों में यह भी उल्लेख है कि जनजातीय कल्याण विभाग राज्यों में जनजातीय उपयोजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन के लिए नॉडल विभाग होंगे। हालाकि यह आशा है कि राज्यों को टीएसपी निधियों के अन्तर्गत निधियां उपलब्ध कराई जाए जो कम से कम राज्य में कुल जनसंख्या के जनजाति

जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर हो, और जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं योजना आयोग ने पर्याप्त संसाधनों को अलग रखने पर बार-बार जोर दिया है, कुछ राज्यों ने वर्ष 2013-14 की वार्षिक योजना बनाते समय टीएसपी के लिए समानुपातिक संसाधनों से कम निधि आवंटित करना जारी रखा।

4. केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के टीएसपी घटक

4.1 यह आशा है कि केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में टीएसपी कार्य निधि का पालन किया जाएगा ताकि केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में निधियों को पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके। मंत्रालयों/विभागों ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों आदि को शामिल करते हुए सभी समुदायों के लिए लागू परियोजनाओं, परियोजनाओं की व्यक्तिगत सहित टीएसपी के कार्यान्वयन में आई परेशानियों की जानकारी दी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय इस बात को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग पहुंचा कि वह टीएसपी पर केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए एक भिन्न कार्य-नीति अभिकल्पित करे। योजना आयोग ने योजना आयोग के सदस्य डा0 नरेन्द्र जाधव की अध्यक्षता में जून 2010 में एक कार्य बल का गठन किया। इसने टीएसपी के लिए योजना परिव्यय को अलग रखने के बारे में उनकी अवधारणा के अनुसार मंत्रालयों/विभागों की विशेष सूची के वर्गीकरण की सिफारिश की।

5. जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए):

5.1 यह एक मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रमुख कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत योजना आयोग द्वारा वार्षिक आवंटन के आधार पर राज्य सरकारों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। यह राज्य के लिए एक योगात्मक समझा जाता है, उन क्षेत्रों के लिए जनजातियों के आर्थिक विकास करने के लिए राज्य योजना प्रावधान सामान्यता नहीं होते हैं। कार्यक्रम 1974-75 के दौरान और 9वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक आरंभ किया गया था, टीएसपी के लिए एससीए जनजातीय उपयोजना की परिवार आधारित आय सृजन गतिविधियों में आलोचनात्मक अन्तराल को भरने के लिए बनाया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि से, टीएसपी के लिए एससीए का उद्देश्य और कार्य क्षेत्र नियोजन-व-आय सृजन गतिविधियों और उससे जुड़ी अवसंरचना को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया था। परिवार आधारित गतिविधियों के अलाव, स्वयं सहायता समूह/समुदायों द्वारा चलाई जा रही अन्य गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया गया था। टीएसपी के लिए एससीए के विस्तार का महत्वूपर्ण उद्देश्य मांग आधारित आय सृजन कार्यक्रमों को गति प्रदान करना और जनजातियों का आर्थिक और सामाजिक स्तर उठाना था। राज्य द्वारा कार्यान्वयन के लिए मार्गनिर्देशों को मई, 2003 में संशोधित किया गया था और फिर जनवरी, 2008 में संशोधित किया गया था। वर्तमान में मार्च, 2014 में, जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय उपयोजना के निर्माण, कार्यान्वयन और प्रबोधन के लिए कार्यात्मक मार्गनिर्देश जारी किए।

5.2 असम, मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा उत्तर-पूर्वी राज्य और दो संघ शासित क्षेत्रों सहित 22 जनजातीय उपयोजना राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी गयी। वर्ष 2003-04 में संघ शासित क्षेत्रों के लिए निर्धारित निधियां गृह मंत्रालय के बजट से उपलब्ध करायी जा रही है और इसलिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय का संघ शासित क्षेत्रों में निधियों के प्रशासन से कोई संबंध नहीं है।

जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत निधियां निम्नलिखित क्षेत्रों में आर्थिक विकास और निम्नलिखित जनसंख्या के लिए जारी की जाती है:-

(i) समेकित जनजातीय विकास परियोजना (संख्या 194) : ये सामान्यतया एक जिले के अन्तर्गत एक खण्ड या एक तहसील या अधिक आकार के अस्थायी क्षेत्र होते हैं जिनमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या की 50 प्रतिशत या अधिक होती है।

(ii) संशोधित क्षेत्र विकास उपागम (माडा) खण्ड (संख्या 259) : ये कुल 10000 या अधिक जनसंख्या में 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले चिन्हित खण्ड होते हैं।

(iii) समूह (संख्या 83): ये 5000 या अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले गांवों के चिन्हित समूह होते हैं जो समूहों की कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत या अधिक भाग गठित करते हैं।

(iv) आदिम जनजातीय समूहः इन्हें जनसंख्या की निम्न विकास दर, प्रौद्योगिकी के कृषि-पूर्व स्तर और साक्षरता के अत्यंत निम्न स्तर द्वारा पहचाना जाता हैं। इन समुदायों के प्रति विशेष ध्यान की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए इन समूहों को विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों के रूप में नाम दिया गया है।

(v) उक्त (i) से (iv) में दी गयी श्रेणी के बाहर की बिखरी हुई जनजातीय जनसंख्या।

5.3 मंत्रालय योजना आयोग द्वारा वार्षिक रूप से इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय को उपलब्ध करायी गयी विशेष केन्द्रीय सहायता निधियों से राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराता है। वन गांव विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 15.00 लाख रूपए की राशि जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के विस्तार के रूप में भी प्रति गांव उपलब्ध करायी गयी थी। सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक गांव के लिए 15 लाख रूपए तक की अतिरिक्त निधियां उन सभी वन गांवों को उपलब्ध करायी जाएगी जिन्होंने 10वीं योजना के दौरान प्रथम चरण वित्त पोषण भी प्राप्त किया है।

6. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत अनुदान:

6.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य के शेष हिस्से के बराबर अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को उठाने के लिए और राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले जनजातीय विकास हेतु ऐसी परियोजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत 22 जनजातीय उपयोजना एवं 4 जनजातीय बाहुल्य राज्यों को अनुदान देता है। 1997-98 से, यह निर्णय लिया गया है कि जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में छवीं कक्षा से दसवीं कक्षा तक 100 मॉडल आवासीय स्कूल (एकलब्य विद्यालय) की स्थापना के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत निधियों का एक हिस्सा उपयोग किया जाए। इस उद्देश्य के लिए, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों में से 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 150.00

करोड़ रूपए अलग रखे गये। एकलब्य विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराना है। 31.03.2014 तक 22 राज्यों के लिए 164 एकलब्य विद्यालय स्वीकृत किए गए और उनमें से अब तक 120 विद्यालय कार्य कर रहे हैं।

6.2 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत एक निर्धारित अनुदान उत्तर कोचर और करबी अंगलोंग के पहाड़ी जिलों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में असम सरकार को दिया जाता है।

7. केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम:

7.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए वर्तमान में निम्नलिखित केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम चला रहा है:-

(i) अनुसूचित जनजातियों/बुक बैंक के लिए पोस्ट मैंट्रिक छात्रवृति

(ii) अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की मैरिट का उन्नयन

(iii) अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति

(iv) बालिका छात्रावास

(v) बालक छात्रावास

(vi) आश्रम स्कूलों की स्थापना

(vii) अनुसंधान और प्रशिक्षण

(viii) सूचना और संचार मिडिया

(ix) राष्ट्रीय जनजातीय कार्य पुरस्कार

(x) उत्कृष्टता केन्द्र

(xi) अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारतीय प्रकृति या अन्तर्राज्यीय के प्रकृति सहायक परियोजनाएं

(xii) जनजातीय त्योहारों का आयोजन

(xiii) जनजातियों द्वारा दौरों का आदान-प्रदान

(xiv) प्रबोधन और मूल्यांकन

(xv) सूचना तकनीकी

(xvi) पूर्वोत्तर के लिए एकमुस्त प्रावधान

8. केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम जिसके अन्तर्गत 100 प्रतिशत अनुदान राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को दिया जाता है।

8.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए वर्तमान में निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम चला रहा है:-

(i) स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता अनुदान

(ii) अनुकरणीय कार्य करने वाले एनजीओ के लिए विशेष प्रोत्साहन

(iii) कोचिंग और संबद्ध स्कीम

(iv) जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण

(v) कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातीय बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण

(vi) जनजातीय उत्पादन/उप-उत्पादों का विपणन विकास (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड), (ट्राईफेड)

(vii) गौण वन उत्पादों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम

(viii) विशेषत: आदिम जनजातीय समूहों का विकास (पीवीटीजी)

(ix) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

(x) अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृति

(xi) उत्कृष्ट संस्थानों/उच्च श्रेणी संस्थानों की स्कीम

(xii) राष्ट्रीय विदेश छात्रवृति स्कीम

(xiii) गौण वन उत्पादों (एमएफपी) के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से गौण वन उत्पादों (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र

(xiv) विश्व बैंक परियोजना-जनजातीय क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यक्रमों को सुधारना

**9. जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्तमान पहल**

9.1 जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों के समग्र विकास और ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों को प्रयोजित करने, संरक्षित करने और जनजातीय संस्कृति एवं धरोहर का उन्नयन करने के लिए वचनबद्ध है और उनके विकास के लिए बहुत सी नई पहल आरंभ की हैं।

1. संस्थानों का सुदृढ़ीकरण

9.2 विकास का फल चाहने और लोक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमों तक पहुंच के लिए जनजातीय लोगों की क्षमता बहुत सीमित है। एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण ऐसे पहुंच को

सुविधाजनक बनाने के लिए संस्थानों को भूमिका प्रदान की गई थी लेकिन वर्षों से, जिला स्तर पर कुछ स्कीमें-विशेष निकाय अत्यधिक मजबूत हो जाते हैं जबकि आईटीडीए/आईटीडीपी कमजोर या अधिकतर राज्यों लुप्तप्राय हो गये हैं। इसी प्रकार जनजातीय अनुसंधान संस्थान बहुत से राज्य में कमजोर हो गये हैं यह जनजातीय विकास में लोगों को जानकारी सामार्थ्य कम हो गया है। नगरीय क्षेत्रों में जनजातीय लोगों की संख्या में वृद्धि देखी गयी है लेकिन उनकी विशेष समस्याओं की देखभाल के लिए कोई अभिकरण नहीं है। वर्ष 2014-15 के दौरान मंत्रालय ने प्राथमिकता के आधार इन संस्थानों के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया है और नये भी सृजित किए हैं ताकि वे सामान एंव सेवाएं अधिक प्रभावी रूप से प्रदान कर सके। जनजातीय उप-योजना के लिए एससीए की विद्यमान स्कीमों, जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के लिए सहायता अनुदान की स्कीम और संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान, मार्गनिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि इन संस्थानों को समुचित अवसंचरना, जनशक्ति और लचीलेपन से सुसज्जित किया जा सके।

9.3 अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता में सुधार के बारे में,जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पिछले एक वर्ष के दौरान निम्नलिखित पहल की हैं:

- 100 प्रतिशत वास्तविक नामांकन के लिए अभियान
- सभी व्यवधानों के लिए निम्न साक्षर जनजातियों एवं जिलों पर विशेष ध्यान
- आवासीय स्कूलों एवं अस्पतालों का निर्माण और विद्यमान सुविधाओं का उन्नयन
- क्षेत्रीय भाषाओं सहित जनजातीय भाषाओं में प्राइमर्स का विकास
- जनजातीय त्योहारों के लिए एकेडमिक सत्र
- अपेक्षित अध्यापक लगाने के लिए स्कूल प्रबंध समिति

2. अनुसूचित जनजातीय बच्चों की शिक्षा के लिए सुरक्षा स्कीम:

9.4 सुरक्षा स्कीमों में शिक्षा के लिए निम्नलिखित स्कीमों को विलय कर दिया गया है:-

क) आश्रम स्कूलों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण

ख) छात्रावासों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण

ग) जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण

घ) पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृति

ड.) प्री-मैट्रिक छात्रवृति

9.5 आवश्यकता राज्यवार भिन्न है और यह नई स्कीम व्यय अपनाने के लिए लचीलापन देती है। इस वर्ष अत्यधिक अनुदान छात्रवृति के िलए दिया गया।

3. जनजातियों का अनुसूचीकरण और मार्गनिर्देशों में परिवर्तन:

9.6 बहुत से समुदाय है जिन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है और वे विभिन्न आधार पर अनुसूचित जनजाति के स्तर का दावा करते हैं। अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत समुदाय के प्रवेश के लिए वर्तमान प्रक्रिया अपारदर्शी है। कुछ दावा करने वाले समुदाय कुछ ऐतिहासिक गलतियों जैसे उनकी वर्तनी की गलती या रोमन लिपि में बोलीगत नामों की लिखाई के कारण स्वर-ध्वनि की भिन्नता के कारण छोड़ दिए गए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित एक कार्यबल में इन मुद्दों की विस्तार से जांच की और जनजातीय कार्य मंत्रालय को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। कार्यबल की सभी सिफारिशें मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है। कार्यबल की एक मुख्य सिफारिश यह है कि देवनागरी लिपि में समुदायों का वैध नाम वह है ताकि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर-ध्वनि भिन्नता से बहुनामों की अभिव्यक्ति न कर सके।

4. **जनजातीय उत्पाद एवं विपणन के उन्नयन के लिए संस्थानीय तंत्र**

क) गौण वन उत्पाद (एमईएफ) के लिए स्कीम:

9.7 एमईएफ का मूल्य विषम जानकारी के कारण मांग और पूर्ति से अधिक अकसर व्यापारियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। 12 एमईएफ के लिए संविधान की पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए स्कीम राज्यों में कार्यान्वित की जाती है। उनके नाम हैं- (i) तेंदु पतियां (ii) बांस (iii) महुआ बीज (iv) साल पत्ते (v) साल बीज (vi) लाख (vii) चिरौंजी (viii) जंगली शहद (ix) मैराबलन (x) टैमरिंड (xi) गोंद (गम कारया) और (xii) करंज। मंत्रालय के अभिकरण, ट्राइफेड ने एक वेब आधारित पोर्टल 'MFPNET' होस्ट किया है जिसके माध्यम से विभिन्न राज्यों की महत्वपूर्ण मंडियों से एमएफपी के चालू मूल्यों को जाना जा सकता है।

**ख) कॉल सेंटर और टॉलफ्री नम्बर का आरंभ**

9.8 वास्तविक समय सूचना उपलब्ध कराने के बारे में, देश की विभिन्न मंडियों में गौण वन उत्पान का दैनिक मूल्य अब टॉलफ्री नम्बर 1800-180-1551 से प्राप्त किया जा सकता है जिसका उद्घाटन 02-09-2014 को माननीय जनजाति कार्य मंत्री द्वारा किया गया था।

ग) ई-कोमर्स पोर्टल:

9.9 ट्राइफेड ने सीधे विक्रय के लिए एक पोर्टल आरंभ किया है। इसके अतिरिक्त, ट्राइफेड ने 'snapdeal.com' के साथ भी अनुबंध किया है।

5. उत्कृष्टता केन्द्र

9.10 मंत्रालय जनजातियों को अनुसूचित करने के संबंध में उन्हें अत्यधिक केन्द्रित, दीर्घावधि एवं नीति उन्मुखी कार्य में संलग्न करने के लिए विश्वविद्यालयों एवं ख्यातिप्राप्त संस्थानों में सुदृढ़ सक्रिय अनुसंधान का समर्थन करता है। वर्तमान में मंत्रालय की सहायता से तीन संस्थान कार्यरत हैं:

i) स्थानीय शासन एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद।

ii) आजीविका एवं गुणवत्तापरक जीवन में सुधार के लिए ग्रामीण तकनीक के क्षेत्र में बीएआईएफ विकास अनुसंधान फाउनडेशन, पुणे।

iii) सूचना, शिक्षा एवं संचार के क्षेत्र में भाषा अनुसंधान और प्रकाशन केन्द्र, बड़ोदरा।

9.11 मंत्रालय ने जनजातीय भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में उड़िया विभाग, विश्व भारती, शांतिनिकेतन को मान्यता दी है। मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों के समाजार्थिक विकास और संस्कृति के लिए विषयों/मुद्दों पर अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जनजातीय अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर ने एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए एक अन्य प्रस्ताव अनुमोदित किया है।

6. **वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन:**

**9.12 अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 उन जनजातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासियों के पूर्व विद्यमान अधिकारों की मान्यता के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जिनके पास वन भूमि है, लेकिन उनके अधिकार अभिलिखित नहीं हो सके। अधिनियम की एक प्रति परिशिष्ट - II पर उपलब्ध है। यह अधिनियम 31-12-2007 से लागू हुआ। अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियमावली, 2007 भी अधिसूचित किया है और यह नियम 01-01-2008 से लागू हुए। नियमावली की एक प्रति परिशिष्ट - III पर उपलब्ध है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार, जनवरी, 2015 तक अर्थात् अधिनियम के कार्यान्वयन के सात वर्षों से अधिक के दौरान, 39.61 लाख से भी अधिक दावे दाखिल किए गए हैं। 15.32 लाख व्यक्तिगत अधिकार और 29,800 से भी अधिक समुदाय वन अधिकार टाइटल कुल 72.09 लाख एकड़ भूमि को कवर करते हुए वितरित किए गए। अब तक दाखिल की गई 83.06 प्रतिशत दावे अभ्यावेदनों का निपटान कर दिया गया है।**

**7. वन बन्धु कल्याण योजना :**

**9.13 जनजातियों के व्यापक विकास करने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय वन बन्धु कल्याण योजना कार्यान्वित कर रहा है जो विकास की विभिन्न स्कीमों के अभिसरण पर केन्द्रित है। बहुत से स्कूलों के अलावा ऐसे विद्यार्थियों की संख्या को भी देखना होगा जिन्होंने विशिष्टता से परीक्षा उत्तीर्ण की है। प्रस्तावित हस्तक्षेप का उद्देश्य जीवन निर्वाह सहित जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए गुजरात मॉडल के आगम समपरिमाण को अपनाना है।**

**9.14 2014-15 के दौरान, 3850 करोड़ रूपए की बजटीय सहायता आरई स्टेज पर मंत्रालय की विभिन्न योजना स्कीमों के लिए की गई है। सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में एक परियोजना मूल्यांकन समिति जिसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, वित्तीय सलाहकार योजना आयोग आदि थे, मंत्रालय की इन स्कीमों के अन्तर्गत आवंटन के लिए प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं अनुमोदन के लिए बनाई गई। इसने राज्यों के साथ**

**परामर्श मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों का अभिसरण और अन्य केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमों, मूल्यांकन एवं निधि जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सीमित वित्तीय संसाधनों का अधिकतम आवंटन सुनिश्चित करने में सहायता की। समिति ने लड़कियों की शिक्षा तथा जनजातियोंकी कम साक्षरता, स्वास्थ्य विशेषतया खून की कमी, मलेरिया, कुपोषण और आजीविका को प्राथमिकता दी। आवासीय स्कूलों में विद्युत और बहते पानी वाले शौचालयों की सुविधाओं पर जोर दिया गया। इस प्रक्रिया ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ राज्य प्राथमिकताओं को एकीकृत करने में सहायता की।**

**स्वास्थ्य और पोषण पहल:**

**9.15 अनुसूचित जनजातियों के स्वास्थ्य एवं पोषण के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई पहल:**

**क.** **<u>सिकिल सेल एनिमिया:</u>** सिकिल सेल एनिमिया का उन्मूलन करने के लिए, सिकिल सेल ट्रेट (एचबीएएस) (एससीटी) का पता लगाने के लिए जनजातीय विभागीय स्कूल/छात्रावासों के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के बाद स्वास्थ्य जांच की जाती है। मरीजों को समस्याओं के प्रति जागरूक किया जाता है और उसकी रोकथाम के उपाय बताये जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में सभी जनसंख्या समूहों के लिए सिकिल सेल जांच को शामिल करने के लिए अनुरोध किया गया है।

ख. **<u>मलेरिया:</u>** मच्छरों की आबादी पर नियंत्रण के लिए मिश्रित मत्स्य पालन और लोगों के लिए प्रोटीन अनुपूरक प्रदान करने की जरूरत बताई गई है।

ग. **<u>पारम्परिक फसल एवं खाद्य:</u>** गौण बाजरा को उगाना और उपभोग करना, हरे पत्ते वाले सब्जी के लिए रसोई गार्डन पोषणीय मुद्दों को हल करने के लिए परियोजना अनुमोदन में प्रोत्साहित किया गया है।

घ. **<u>जनजातीय मेडिसन्स एवं प्रैक्टिस:</u>** जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से जनजातीय मेडिसन्स एवं प्रैक्टिस के प्रलेखन को प्रोत्साहित किया गया है। जनजातीय लोगों के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मुख्य धारा जनजातीय मेडिसन्स और कानूनी प्रैक्टिस हेतु प्रयास आरंभ किए गए हैं।

9. राष्ट्रीय जनजातीय त्योहार: 2015

9.16 जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 13 फरवरी से 18 फरवरी, 2015 तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय त्योहार 'वनज' आयोजित किया। इन त्योहारों में सामूहिक नृत्यों, गानों और अन्य पारम्परिक प्रथाओं के अदित्य रूपों के माध्यम से सम्पूर्ण देश की जनजातीय समुदायों के मूल्यवान सांस्कृतिक धरोहर की झलक प्रस्तुत की गई और वे देश की सांस्कृतिक विविधता की प्रसंशा के विकास पर केन्द्रित थे। त्योहार की मुख्य-मुख्य बातों में शामिल है-राज्य विशिष्ट जनजातीय झोपड़ियां, किताबों, कला एवं शिल्प, जनजातीय भोजन, पुरस्कार विजेजा फोटोग्राफ का प्रदर्शन और चित्रकारी में पारम्परिक कौशल का प्रदर्शन आदि हैं। जनजातीय

मुद्दों से सुसंगत विषयों पर प्रलेखन फिल्मों और सेमिनारों की स्कृनिंग सातों दिन के लिए अन्य आकर्षण थे। आयोजन प्रति वर्ष 2 फरवरी से 3 फरवरी तक किया जाएगा।

9.17 उपर उल्लिखित प्रत्येक स्कीम और इन स्कीमों का कार्य और जनजातीय कार्य मंत्रालय की अन्य गतिविधियों से संबंधित विवरण मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.tribal.nic.in) पर उपलब्ध है।

10. अनुसूचित क्षेत्र

10.1 अनुसूचित जनजातियां अन्य असमान समुदायों की तरह सटे हुए क्षेत्रों में रहती है इसलिए उनके हितों को संरक्षित करने के लिए विनियमक प्रावधान और विकासात्मक गतिविधियों के लिए उन क्षेत्रों तक पहुंच बहुत सुलभ है। भूमि हस्तांतरण और अन्य सामाजिक कारकों के बारे में अनुसूचित जनजातियों के हितों को संरक्षित करने के संबंध में, 'पांचवी अनुसूची' और 'छठी अनुसूची' को संविधान में स्थापित किया गया है।

10.2 संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अन्तर्गत पांचवी अनुसूची परिभाषित करती है कि 'अनुसूचित क्षेत्र' ऐसे क्षेत्र हैं जिसे राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र होना घोषित करें। यह अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में प्रावधान का उल्लेख करती है। अनुसूचित क्षेत्र वाले 9 राज्य हैं- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। इन राज्यों में जनजातीय परामर्शदात्री परिषदें (टीएसी) हैं। [इसके अतिरिक्त, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल जहां कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, मे भी संविधिक टीएसी है।] अपने मूल या संशोधित रूप में वर्तमान में प्रचलित आदेशों की सूची जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.tribal.nic.in) पर देखी जा सकती है।

10.3 संविधान के अनुच्छेद 244(2) के अन्तर्गत छठी अनुसूची पूर्वोत्तर में उन क्षेत्रों से संबंधित है जिन्हें 'जनजातीय क्षेत्र' के रूप में पुन: घोषित किया गया है और ऐसे क्षेत्रों के लिए एक जिला या क्षेत्रीय स्वशासी परिषद् है। इन परिषदों के पास बृहत विधायी, न्यायिक और कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं। अनुसूची में ' जनजातीय क्षेत्रों' के रूप में घोषित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों का भी उल्लेख है। इस अनुसूची के संबंध में जनजातीय क्षेत्र असम, (उतरी कोचर हिल जिला और कारबी अंगलोंग जिला) मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में हैं। इन क्षेत्रों में स्वशासी जिला परिषदें और स्वशासी क्षेत्रीय परिषदें हैं, जिनमें स्वप्रबंधन प्रणाली की एक लम्बी परम्परा है। ये स्वशासी परिषदें न केवल विभिन्न विभागों एवं विभागीय कार्यक्रमों का प्रशासन करती है बल्कि वे विभिन्न विषयों अर्थात् भूमि, वन, झूम की खेती, गांव या कस्बा पुलिस सहित गांव या कस्बा प्रशासन और लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सम्पति का उत्तराधिकार, विवाह और विवाह विच्छेद और सामाजिक प्रणालियों पर कानून बनाने की शक्तियां भी रखती हैं। ये परिषदें चुनी हुई निकायें हैं और कार्यकारी विकासात्मक एवं वितीय दायित्वों के अलावा विधायी, न्याय के प्रशासन की शक्तियां भी रखती हैं।

10.4 अनुसूचित क्षेत्र के लाभ :

(क) उस राज्य का राज्यपाल जहां अनुसूचित क्षेत्र है निम्नलिखित के संबंध में विनियमन बनाने के लिए सशक्त है:

(i) जनजातीय लोगों से भूमि के हस्तान्तरण पर प्रतिबंध या निषेध,

(ii) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देने के व्यवसाय को विनियमित करना

ऐसे विनियमन बनाने में, राज्यपाल संसद के किसी अधिनियम या राज्य के विधायन को निरस्त या संशोधित कर सकता है जो प्रश्नगत क्षेत्रों के लिए लागू है।

(ख) राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकते हैं कि कोई विशेष संसद का अधिनियम या राज्य का विधायन अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग को लागू नहीं होगा या ऐसे क्षेत्र को ऐसे अपवादों और संशोधनों जैसा विनिर्दिष्ट हो, के अद्यधीन लागू होगा।

(ग) अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य का राज्यपाल वार्षिक रूप से या भारत के राष्ट्रपति द्वारा जब कभी अपेक्षित हो उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा और संघ की कार्यपालिका शक्तियां उक्त क्षेत्र के प्रशासन के लिए राज्य को निर्देश देने तक होंगी।

(घ) अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य में जनजातीय परामर्शदात्री परिषद स्थापित की जाएगी। टीएसी अनुसूचित जनजातियों वाले किसी राज्य में स्थापित की जा सकती है न कि राष्ट्रपति के निर्देशों पर अनुसूचित क्षेत्रों पर। टीएसी उन 12 सदस्यों से अधिक नहीं होगी जिनमें से उस राज्य की विधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से तीन चौथाई सदस्य होंगे। टीएसी की भूमिका राज्य में अनुसूचित जनजातियोंके कल्याण एवं उन्नयन से संबंधित मामलोंपर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए है जिसे गर्वनर द्वारा संदर्भित किया जाता है।

(ड.) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 जिसके द्वारा संविधान के भाग IX में उल्लिखित पंचायत के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित किए गए थे और अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए विशेष प्रावधानों का भी उल्लेख है।

11. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996

11.1 पंचायत के संबंध में संविधान के भाग IX के उपबंध पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 के माध्यम से विभिन्न राज्योंमें अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित किए गए हैं (परिशष्ट-IV)। इस अधिनियम की धारा (4) प्रावधान करती है कि संविधान के भाग IX के अन्तर्गत उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, राज्य की विधानसभा उस भाग के अन्तर्गत कोई कानून नहीं बनायेगी जो इस धारा में उल्लिखित किसी विशेषता से असंगत है। इस अधिनियम की धारा (4) अन्य बातों के साथ साथ प्रावधान करती है कि -

(i) (क) प्रत्येक ग्राम सभा ग्राम स्तर पर पंचायत द्वारा ऐसी योजना कार्यक्रम और परियोजना कार्यान्वित करने से पहले सामाजित और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं कार्यक्रम और परियोजनाएं अनुमोदित करती हैं।

(ख) प्रत्येक ग्राम सभा गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों के रूप में व्यक्तियों का चयन या पहचान के लिए जिम्मेदार होगी।

(ii) गांव स्तर पर प्रत्येक पंचायत से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उस पंचायत द्वारा निधियों की उपयोगिता का एक प्रमाण पत्र ग्राम सभा से प्राप्त करें।

(iii) उपयुक्त स्तर पर अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभावित पुनर्स्थापन या पुनर्वासन से पूर्व और विकास परियोजनाओं के अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा या पंचायत से परामर्श किया जाएगा।

(iv) उपयुक्त स्तरों पर अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टे की अनुमति से पहले ग्राम सभा या पंचायत की सिफारिशें अनिवार्य होगी।

(v) राज्य विधायिका अनुसूचित क्षेत्रों में जिले स्तरों पर पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था अभिकल्पित करते समय संविधान की छठी अनुसूची की प्रद्धति का अनुकरण करने की कोशिश करेगी।

11.2 अधिनियम की धारा (4) में प्रावधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की कुछ अन्य शक्तियां (i) जनजातीय लोगों की परम्पराओं एवं प्रथाओं के सुरक्षण एवं संरक्षण, (ii) अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जलाशयों का प्रबंधन एवं योजना से संबंधित हैं। राज्य विधायिका से यह अपेक्षित है कि वह यह सुनिशिचत करें कि पंचायतें उपयुक्त स्तरों पर और ग्राम सभा को विशेष रूप से शक्तियां दी गई हैं-

(i) किसी मादक द्रव्य की बिक्री और उपभोग का निषेध करने अथवा उसे विनियमित अथवा प्रतिबन्धित करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए।

(ii) गौण वन उत्पादों का स्वामित्व प्राप्त होना चाहिए।

( iii) अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रामण को रोकने और अनुसूचित जनजातियों की अवैध रूप से अन्य-संक्रामित भूमि को वापस दिलाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए।

( iv) गांवों की मंडियों का प्रबन्ध करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए।

( v) अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने के कार्य को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए।

( vi) सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थाओं और पदाधिकारियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए।

( vii) स्थानीय योजनाओं और ऐसी योजनाओं के, जिनमें जनजातीय उप-योजना भी शामिल है, संसाधनों पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए।

12. जनजातियों को अनुसूचित और अ-अनुसूचित करना:

12.1 अनुसूच्छेद 342 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ शासित क्षेत्र के संबंध में और जहां यह एक राज्य हो उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद जनजातियों या जनजातीय समुदायों या उसके किसी हिस्से को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकेगा। इससे संविधान में अनुसूचितजन जातियों के लिए उपलब्ध अधिकार एवं सुरक्षण प्राप्त करने के लिए जनजाति या उसका एक भाग उस अपने संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र में संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर सकेगा।

12.2 अनुच्छेद का खण्ड (2) संसद को किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या उसके किसी भाग को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित या निष्कासित करने के लिए कानून बनाने के लिए सशक्त करता है।

**13. अनुसूचित जनजातियों के रूप में एक समुदाय के विशिष्टिकरण के लिए मापदण्ड:**

13.1 अनुसूचित जनजातियों के रूप में एक समुदाय के विशिष्टिकरण के लिए अपनाया गया मापदण्ड निम्नवत है-

(क) आदिम विशेषता के संकेत

(ख) विशिष्ट संस्कृति

(ग) भौगोलिक एकाकीपन

(घ) समुदाय के साथ सम्पर्क करने में संकोच और

(ड.) पिछड़ापन

13.2 यह मापदण्ड संविधान में नहीं बताया गया है लेकिन यह अच्छी तरह सुस्थापित हो गया है। परिभाषाओं की 1931 की जनगणना, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (कालेलकर) 1955 की रिपोर्टों, एससी/एसटी सूचियों की समीक्षा संबंधी परामर्शदात्री समिति (लोकुर समिति) 1965 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 संबंधी संसद की संयुक्त समिति (चंदा समिति) 1969 में गिनती को ध्यान में रखा गया।

14. अनुसूचित जनजातियों की सूची से निष्कासन या प्रवेशन के लिए प्रक्रिया

14.1 जून 1999 में, सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूची से निष्कासन या प्रवेशन के लिए दावों का निर्णय करने के लिए तौर तरीकों का अनुमोदन किया है। इन अनुमोदित मार्गनिर्देशों के अनुसार, केवल वे दावे जिन पर संबंधित राज्य सरकारें सहमत हो गई हैं, भारत के महापंजीयक और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग विचारण के लिए लेंगे।

14.2 जब कभी एक राज्य/संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी समुदाय के प्रवेशन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय में अभ्यावेदन प्राप्त होता है, मंत्रालय उस अभ्यावेदन को संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत अपेक्षानुसार सिफारिश के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को भेजता है। यदि संबंधित राज्य सरकार प्रस्ताव पर सिफारिश करती है तब उसे भारत के महापंजीयक को भेज

दिया जाता है, यदि वह राज्य सरकार की सिफारिशों से संतुष्ट है तो वह केन्द्र सरकार को सिफारिश करता है। उसके बाद, जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रस्ताव को सिफारिश के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को भेजता है। यदि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग भी मामले की सिफारिश करता है तो मामले को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से परामर्श के बाद मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए भेजा जाता है। उसके बाद मामले को राष्ट्रपतीय आदेश में संशोधन के लिए एक विधेयक के रूप में संसद के समक्ष रखा जाता है।

14.3 यदि राज्य सरकार और भारत के महापंजीयक के विचारों के बीच असहमति होती है तो भारत के महापंजीयक के विचारों को समीक्षा या उन सिफारिश को न्यायोचित ठहराने के लिए राज्य सरकार को भेजा जाता है। राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने के बाद प्रस्ताव को पुन: टिप्पणी के लिए भारत के महापंजीयक को भेजा जाता है। ऐसे मामलों में, जहां भारत के महापंजीयक राज्य सरकार/ संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के दृष्टिकोण से सहमत नहीं होते हैं, भारत सरकार उक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकती है।

14.4 ऐसे दावों जिन्हें न तो भारत के महापंजीयक और न ही संबंधित राज्य सरकार ने समर्थन दिया है, को अस्वीकृत कर दिया जाता है। उसी प्रकार ऐसे मामले जहां राज्य सरकार और भारत के महापंजीयक निष्कासन/ प्रवेशन का पक्ष लेते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग द्वारा समर्थित नहीं है को भी अस्वीकृत कर दिया जाता है।

15. अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी:

15.1 अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्ति किसी भी निम्नलिखित प्राधिकारियों से निर्धारित प्रारूप में अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं:

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त [प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के रैंक से कम न हो]।

(ii) मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/ अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार की श्रेणी से कम न हो

(iv) उस क्षेत्र का सब डिवीजनल ऑफिसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतया निवास करता है।

(v) प्रशासक/प्रशासक का सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप समूह)

16. अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी/सत्यापित करते समय अवलोकित किए जाने वाले बिन्दु:

16.1 सामान्य:

16.1.1 एक अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले विभिन्न बिन्दुओं और मुद्दों पर विचार करना अपेक्षित है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची से निष्कासन और प्रवेशन से संबंधित विषय मामलों के संबंध में नीति मुद्दे से संबंधित नोडल मंत्रालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। ये बिन्दु और

मुद्दे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.socialjustice.nic.in) पर विस्तार से उपलब्ध है। तथापि, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुलभ संदर्भ हेतु इस हैंडबुक में मुख्य-मुख्य रूप में दिए गए हैं।

16.1.2 जहां एक व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है वहां यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि -

(i) व्यक्ति और उसके माता-पिता वास्तव में दावा किए गए समुदाय से संबंधित है;

(ii) समुदाय संबंधित राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपतीय आदेश में शामिल है;

(iii) व्यक्ति उस राज्य के भीतर क्षेत्र और उस राज्य से संबंधित है जिसके संबंध में समुदाय अनुसूचित किया गया है;

(iv) वे किसी भी धर्म का दावा कर सकते हैं;

(v) उसे/या उसके माता-पिता/उसके दादा-दादी आदि को उसे अपने मामले में लागू राष्ट्रपतीय आदेश की अधिसूचना की तारीख पर उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए;

(vi) एक व्यक्ति जो अपने मामले में लागू राष्ट्रपतीय आदेश की अधिसूचना के समय अपने स्थायी निवास से अस्थायी रूप से दूर है, उदाहरणार्थ जीविका या अशिक्षा आदि अर्जित करने के लिए, को भी अनुसूचित जाति के रूप में माना जा सकता है। यदि उसकी जनजाति उसके राज्य/संघ शासित क्षेत्र से संबंधित उस आदेश में विनिर्दिष्ट है लेकिन उसे उसके अस्थायी निवास के स्थान के संबंध में ऐसा नहीं समझा जा सकता है, ऐसा होते हुए भी तथ्य यह है कि किसी राष्ट्रपतीय आदेश में उसकी जनजाति का नाम उस राज्य के संबंध में अनुसूचित किया गया है जहां वह अस्थायी रूप से बस गया है;

(vii) सुसंगत राष्ट्रपतीय आदेश की अधिसूचना की तारीख केबाद उत्पन्न व्यक्तियों के मामले में, अनुसूचित जनजातीय स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए निवास का स्थान उस राष्ट्रपतीय आदेश की अधिसूचना के समय उनके माता- पिता का स्थायी निवास का वह स्थल है जिसके अन्तर्गत वे ऐसी जनजातीय से संबंधित होने का दावा करते हैं।

16.2 प्रवासन पर अनुसूचित जनजाति होने का दावा।

16.2.1 यदि एक व्यक्ति उस राज्य के किसी हिस्से से जहां उसका समुदाय अधिसूचित है, उसी राज्य के किसी दूसरे हिस्से में जहां उसका समुदाय अधिसूचित नहीं है, प्रवास करता है तो वह उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना समझा जाता रहेगा।

16.2.2 जहां एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जा कर बस जाता है, वह केवल उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति का होने का दावा कर सकता है जिस राज्य से वह मूल रूप से संबंधित है न कि उस राज्य के संबंध में जहां वह बस जाता है।

16.3 विवाह के बाद अनुसूचित जाति का होने का दावा और उनके बच्चों की स्थिति:

16.3.1 मार्गदर्शी सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं था वह इस आधार पर अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना नहीं समझा जाएगा क्योंकि उसने अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति से विवाह किया है। उसी प्रकार एक व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करने के बाद भी जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, उस अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना जारी रहेगा। तथापि, ऐसे विवाह से उत्पन्न बच्चों की स्थिति पिता की विशेष जाति स्थिति पर निर्भर करेगी।